(असाधारण, भारत के राजपत्र के धारा 4 के भाग-III प्रकाशित)

महा पत्तनों के लिए प्रशुल्क प्राधिकरण

जी सं0 296 नई दिल्ली 20 जुलाई 2016

अधिसूचना

महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रमुख पत्तनों के लिए प्रशुल्क प्राधिकरण जैसाकि इसके साथ संलग्नित आदेश में अपने पत्र सं0 8/(15)2015-टीएएमपी दि0 11 मई 2016 के अनुसार पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) निदेशों का पालन करते हुए प्राधिकार द्वारा पारित आदेश सं0 टीएएमपी/4/2004-सामान्य, दिनांक 19 मई 2016 के अनुसरण में नव मंगलूर पत्तन न्यास (एनएमपीटी) से अपने दरमानों का संशोधन के लिए प्राप्त प्रस्ताव का एतद्वारा निपटान करता है ।

(टी एस बालसुब्रह्मयम)
सदस्य (वित्त)

महा पत्तनों के लिए प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं0 टीएएमपी /22/2015-एनएमपीटी

नव मंगलूर पत्तन न्यास — आवेदक

कोरम

(i) श्री टी एस बालसुब्रह्मयम, सदस्य (वित्त)
(ii) श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(इस जून 2016 के 21वें दिन को पारित)

अपने पत्र सं0 8/(15)2015-टीएएमपी दि0 11 मई 2016 के अनुसार पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) निदेशों का पालन करते हुए प्राधिकार द्वारा पारित आदेश सं0 टीएएमपी /4/2004-सामान्य, दिनांक 19 मई 2016 के अनुसरण में नव मंगलूर पत्तन न्यास (एनएमपीटी) से यह मामला, तटीय पोत व कंटैनर भंडारण प्रभारों हेतु पोत संबंधी प्रभारों के लिए संबंधित दरमानों का संशोधन हेतु प्राप्त प्रस्ताव के संबंध में है ।

2. यह बताना प्रासंगिक है कि इस प्राधिकरण ने एन एम पी टी के संशोधित दरमान को अपने आदेश सं0 टीएएमपी/22/2015-एनएमपीटी दिनांक 27 फरवरी 2016 को टैरिफ नीति 2015 के तहत न म प न्यास द्वारा दायर किए गए प्रस्ताव के आधार पर अनुमोदित किया है । यह आदेश भारत के राजपत्र सं0 133 दिनांक 13 अप्रैल 2016 में अधिसूचित किया गया था । उक्त आदेश में यह कहा गया है कि संशोधित एसओआर भारत के राजपत्र में आदेश की अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति के बाद लागू होगा । उस आदेश में निर्धारित न म प न्यास के एसओआर की वैधता 31 मार्च 2019 तक है ।

3.1 उपर्युक्त आदेश अन्य बातों के अलावा, मौजूदा विचलन दर के संदर्भ में तटीय दरों के निधंरारण पर पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा अपने दिनांक 17 सितंबर 2015 की पत्र सं0 8/(15)2015-टीएएमपी के अनुसार जारी दिशा-निर्देश को ध्यान में रखते हैं ।

3.2 सितंबर 2015 में जारी एमओएस के दिशा-निर्देश के अनुसर, तटीय पोत के लिए पोत संबंधी शुल्कों को भारतीय रूपए के बनाम यूएस$ की विनिमय दर में उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखना चाहिए ताकि सभी तटीय जहाजों के लिए जहाज संबंधी शुल्क अन्य जहाजों के लिए अनुरूपी शुल्क का 60% से अधिक न हो और इन शुल्कों को भारतीय रूपए में लागू विनिमय दर पर एकत्र किया जाएगा । साथ ही, विदेशी कंटैनर के लिए यूएस$ में अभिधान कंटैनर से जुडे शुल्क के संबंध में, तटीय कंटैनर के लिए टैरिफ अन्य विदेशी कंटैनरों के लिए लागू अनुरूपी शुल्क का 60% से अधिक नहीं होगा और इन शुल्कों को भारतीय मुद्राओं में लागू विनिमय दर पर, एकत्र किया जाएगा ।

3.3 तटीय पोत और तटीय कंटैनर की दर के तत्काल निर्धारण के लिए एमओएस के उक्त निर्देशन के आधार पर इस प्राधिकरण ने महा पत्तन न्यासों और उनमें प्रचालनिक निजी टर्मिनलों के एसओआर में निम्नलिखित नोट को उचित रूप से शामिल करने एक आदेश सं0 टीएएमपी /4/2004-सामान्य, दिनांक 5 अक्तूबर 2015 को पारित

किया और एनएमपीटी और संबंधित बीओटी ऑपरेटरों सहित कार्यान्वयन के लिए सभी महा पत्तनों को सूचित किया गया ।

तटीय पोत के लिए दरें विनिमय दर में उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए परिकलित 60% (पास पास रख गई विदेशी जा रही जहाज के लिए दर के तक है ।

4. तदनुसार, 27 फरवरी 2016 को आदेश सं0 टीएएमपी/22/2015-एनएमपीटी के अनुसार इस प्राधिकरण के द्वारा अनुमोदित न म प न्यास के संशोधित एसओआर में उपर्युक्त नोट तटीय पोत और कंटैनर भंडारण शुल्क (तटीय) के लिए पोत संबंधी शुल्कों के स्थान पर शामिल किया गया था । इन मदों के लिए राजस्व अनुमान के उद्देश्य के लिए, न म प न्यास ने 1यूएस$= रू66 के तत्कालीन विनिमय दर पर विचार किया था और अपने विदेशी प्रतिस्थानी के लिए प्रस्तावित दर का 60% पर तटीय पोत के लिए दर पर पहुँच गया और राजस्व अनुमान में उसी का असर पकड़ लिया ।

5.1 एमओएस ने 11 मई 2016 के अपने पत्र सं0 8/(15)2015-टीएएमपी में कहा है कि तटीय टैरिफ के पुनर्वयान के लिए विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के संबंध से संबंधित परिणाम को संबोधित करना आवश्यक बन जाना है । एमओएस ने इस प्राधिकरण को यह बताते हुए एक निर्देश जारी किया है कि जब तक ऐसे मुद्दों को संबोधित नहीं किया जाता है, एमओएस ने 17 सितंबर 2015 के अपने पत्र सं0 8/(15)2015-टीएएमपी के अनुसार अस्थायी रूप से अगले दिशा-निर्देशों प्रास्थगित का निर्णय लिया है और (पहले का) पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमएसआरटीएच) द्वारा जारी पत्र लिखित सं0 पीआर-14019/29/2001-पीजी दिनांक 1/3 जनवरी 2005 व 9 मार्च 2005 द्वारा जारी की गई पहली नीति दिशा को पुन: स्थापना किया है ।

5.2 उपरोक्त के मद्देनजर, एमओएस ने 11 मई 2016 के अपने संसूचना के अनुसार, इस प्राधिकरण को महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 42(3) के अधीन प्राधिकृत सभी महा पत्तन न्यासों और निजी ऑपरेटरों पर लगाए गए तटीय कार्गो/कंटैनर/पोत संबंधित शुल्कों को उचित तरीके से निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं ।

5.3 तदनुसार, इस प्राधिकरण ने सभी महा पत्तन न्यासों को तदनुसार अपने दरमान में संशोधन करने का निर्देश देकर आदेश सं0 टीएएमपी/4/2004-सामान्य, दिनांक 19 मई 2016 को पारित कर दिया है । यह आदेश न म प न्यास सहित सभी महा पत्तन न्यासों को हमारे पत्र सं0 टीएएमपी /4/2004-सामान्य, दिनांक 30 मई 2016 में सूचित किया गया था ।

6.1 इस पृष्ठभूमि में, न म प न्यास ने अपने पत्र सं0 नमपन्यास/एफआईएन/आरईवी/एसओआर/14-15 दिनांक 7 जून 2016 के अनुसार तटीय पोत संबंधी हेतु पोत संबंधी तटीय प्रभारों व कंटैनर के लिए स्टोरेज शुल्क के लिए मौजूदा संशोधित एसओआर में निर्धारित दरों में संशोधन करने का प्रस्ताव दायर किया है ।

6.2 न म प न्यास ने 27 फरवरी 2016 के आदेश सं0 टीएएमपी/22/2015 के अनुसार एसओआर में अनुमोदित पोत संबंधी प्रभार व कंटैनर स्टोरेज प्रभारों को दर्शाजे हुए एक बयान दिया है और तटीय जहाज और तटीय कंटैनर स्टोरेज प्रभार के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

6.3 न म प न्यास द्वारा प्रस्तुत कथन के मुताबिक, यह देखा गया है कि एनएमपीटी ने प्रचलित विनिमय दर यानी 1यूएस$ =रू 66.43 को तटीय जहाजों कंटैनर भंडारण शुल्क (तटीय) के लिए दर पर पहुँचने के लिए आवेदन किया है । तटीय पोत के लिए पोत संबंधी शुल्कों के लिए एनएमपीटी ने अपने विदेशी प्रतिस्थानी पर 40% की योग्य रियायज के आधार पर दर प्रस्तावित की है ।

6.4 यह देखा गया है कि एमएनपीटी ने तटीय पोत के लिए संशोधित दर पर पहुँचने के दौरान तटीय पोत के लिए दर को पुन: स्थापित कर दिया है जिसकी वर्तमान विदेशी विनिमय दर 1यूएस$ =रू 66.44 है । यह 11 मई 2016 को एमएओएस द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुरूप नहीं है, जिसमें एमओएस ने अस्थायी रूप से 17 सितंबर 2015 की दिशा को रोक दिया और एमएसआरटीएच द्वारा जारी पत्र को अपने पत्र सं0 पीआर-14019/29/2001-पीजी दिनांक 1/3 जनवरी 2005 और 9 मार्च 2005 आदेश सं0 टीएएमपी /4/2004-सामान्य के प्रासंगिक पैरा 3(ii) जनवरी 2015 को एमएसआरटीएच द्वारा जारी की गई नीति दिशा के आधार पर प्राधिकरण द्वारा तटीय दरों के पुर्नस्थापना के बारे में नीचे दिया गया है :

> *<u>तटीय दरें विनिमय दर में बदलावों के कारण स्वचालित रूप से नहीं बढेगी । वे अन्य श्रेणियों के तहाजों/कंटैनरों के लिए निर्धारित डालर से वंचित दरों से अलग कर दिया जाना है । दरमान के प्रत्येक सामान्य संशोधन के समय में प्रचलित विनिमय दर के प्रसंग में तटीय दरों का पुनर्बयान का सहारा नहीं होना चाहिए । लेकिन, इस नीति द्वारा परिकल्पित न्यूनतम रियायतें सुनिश्चित की जानी चाहिए ।</u>*

6.5 न म प न्यास द्वारा अपनाई जानेवाला दृष्टिकोण उपरोक्त एमओएस दिशा के साथ नहीं पाया गया है । इसलिए, तटीय श्रेणी के लिए तटीय पोत और कंटैनर स्टोरेज प्रभारों के लिए जहाज से संबंधित शुल्क मौजूदा विनिमय दर में दरों की पुर्नसंरचना के बिना संशोधित किए गए हैं । न म प न्यास ने संशोधित दरों पर संशांधित राजस्व अनुमान प्रस्तुत नहीं किया है । तटीय श्रेणी के लिए तटीय पोत और कंटैनर भंडारण प्रभारों के लिए पोत संबंधी शुल्कों के संबंध में संशोधित दरों पर प्राप्त करने के अनुमान और एमओएस की हालिया दिशा के अनुसार पानी की आपूर्ति के लिए लाँच, टग्स और शुल्कों का किराया प्रभार रू35602.00 लाख जो फरवरी 2016 के आदेश में रू35,313 लाख अनुमानित वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) से न्यूनतम अधिक है ।

6.6 यह यहाँ बताना सुसंगत है कि टैरिफ आदेश में 27 फरवरी 2016 का अनुमानित रू 36,324.28 लाख रूपए है जबकि अनुमानित ए आर आर रू 35,313 लाख के विपरीत है । उक्त आदेश के पैरा 18(XV) में दिए गए कारणों के लिए यह प्राधिकरण ने एनएमपीटी द्वारा प्रस्तावित टैरिफ को मंजूरी देने का फैसला किया था, हालांकि यह मामूली रूप से एआरआर रू1011.28 लाख रूपए सीमांत पार कर गया था।

मौजूदा अभ्यास के लिए संशोधित राजस्व अनुमान रू35602.00 लाख है । तटीय जहाजों कंटैनर स्टोरेज चार्ज और टग्स और लाँच के लिए शुल्क और तटीय श्रेणी के लिए पानी की आपूर्ति के लिए शुल्क के लिए पोत संबंधी शुल्क में संशोधन, एमओएस की नीति दिशा के कारण उठता है ताकि प्रचलित विनिमय में तटीय श्रेणी के लिए दरों को पुन: मूल्यांकन न करें । फरवरी 2016 के आदेश का पैरा 18(XV) में बताए गए कारणों के लिए तटीय पोत और कंटैनर भंडारण प्रभारों के संदर्भ में संशोधित दरों को मंजूरी दी गई है, हालांकि रू35,602 लाख रूaपए के राजस्व का अनुमानित ए आर आर का रू35,313 लाख के विपरीत रू 289 लाख से सीमांत अधिक है । संक्षेप में, फरवरी 2016 आदेश में अनुमानित राजस्व जो एआरआर रू1011.28 लाख से बंद गया है जब चालू व्यवहार में रू 289 लाख तक कम हुआ है ।

6.7 पहले बताने के अनुसार, एमओएस ने दिनांक 11 मई 2016 के अपनी संसूचना में यह बताया है कि तटीय टैरीफ की पुन: स्थापना हेतु विनिमय दर उतार-चढ़ाव को जोडने हेतु संबंधित परिणामें को परीक्षण किया जाना अपेक्षित है ताकि वहां तटीय शिप्पिंग की प्रोन्नति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है । ऐसे समय तक मामलों का संबोधन करना है, एसओएस ने दिनांक 17 सितंबर 2016 की अपनी पिछली दिशा निर्देशिका को आगे का आदेश तक अस्थायी रूप में प्रास्थगित रखने का निर्णय लिया । न म प न्यास ने अत: इस मामले में एसओएस से प्राप्त

किया जानेवाला अतिरिक्त निदेश/आदेश पर आधारित तटीय दरों में अशोधन हेतु उचित प्रस्ताव के साथ आ सकता है ।

7.1 इसके फलस्वरूप और दिए गए कारणों के लिए, विचार का सामाहिक लागू करने के आधार पर, इस प्राधिकरण ने संगत टिप्पणी के साथ संशोधित पोत संबंधी प्रभारों का अनुमोदन करता है जो दिनांक 17 फरवरी 2016 के आदेश के अनुसार इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित प्रचलित एसओआर में विनिर्दिष्ट टैरिफ मुद्दों व कंटैनर स्टोरेज हेतु प्रभारे प्रतिस्थापित किया जाना है, **अनुलग्नक** के रूप में संलग्न है ।

7.2 सामान्यत: इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित आदेश, सरकारी राजपत्र में आदेश की अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति के बाद प्रभावी होगा । तथापि, तत्कालिक मामले में एसओएस द्वारा जारी निदेशों से निकलनेवाली दर में अशोधन के कारण, यह भारत क राजपत्र में आदेश का अधिसूचित होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

(टी एस बालसुब्रमण्यन)
सदस्य (वित्त)

नव मंगलूर पत्तन न्यास

दरमान का संशोधन

राजपत्र सं0 296 दिनांक 20.07.2016

प्राधिकरण अपने आदेश सं0 टीएएमपी /22/2015- न म प न्यास दिनांक 27 फरवरी 2016 द्वारा अनुमोदित न म प न्यास का प्रचलित दरमान (एसओआर) में विनिर्धारित नोट/अनुसूचियाँ जो निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जाय :-

(i) एसओआर का चैप्टर1 के अधीन 1.2 सामान्य शर्त व निबंधन के अंतर्गत नोट (vii) (क) निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जाय :

अधिसूचित आदेश सं0 टीएएमपी /22/2015- न म प न्यास दिनांक 27 फरवरी 2016 के अनुसार एसओआर में यथा अनुमोदित	निम्नलिखित से प्रतिस्थापना
(vii) (क) तटीय पोतों के लिए पोत संबंधी प्रभारें भारतीय रूपए के विनिमय दर उतार-चढ़ाव के बनाम यूएस$ को ध्यान में रखना चाहिए ताकि तटीय पोतों हेतु पोत संबंधी प्रभारें अन्य विदेशी गमन पोतों हेतु अनुरूपी प्रभारों के 60% से अधिक नहीं होगा । इसके अतिरिक्त, दन प्रभारें लागू विनिमय दरों पर मात्र भारतीय रूपए में संग्रह किया जाएगा।	(vii) (क) सभी तटीय पोतों के पोत संबंधी अन्य पोतों के अनुरूपी प्रभारों के 60% से अधिक नहीं होना चाहिए ।

(ii) प्रचलित एसओआर में निर्धारित चैप्टर 11 के अधीन अनुसूची 2.1 पत्तन देयराशि का प्रतिस्थापना निम्नानुसार दर्शित है

आदेश सं0 टीएएमपी /22/2015- न म प न्यास दिनांक 27 फरवरी 2016 में यथा अनुमोदित ।	निम्नलिखित से प्रतिस्थापना

2.1 पत्तन की देयराशि						2.1 पत्तन की देयराशि				
प्रभार योग्य पोत (15 टन व ऊपर के समुद्र गमन पोत)	**दर प्रति जीआरटी**		**समान पोत के लिए भुगतान की बारंबारता**			**प्रभार योग्य पोत (15 टन व ऊपर के समुद्र गमन पोत)**	**दर प्रति जीआरटी**		**समान पोत के लिए भुगतान की बारंबारता**	
	विदेशी गमन पोत (यूएस$ में)	**तटीय पोत (रू में)**	**विदेशी गमन पोत (यूएस$ में)**	**तटीय पोत (रू में)**			**विदेशी गमन पोत (यूएस$ में)**	**तटीय पोत (रू में)**	**विदेशी गमन पोत (यूएस$ में)**	**तटीय पोत (रू में)**
शिप/स्टीमर्स	0.332	तटीय पोत हेतु दर, विनिमय दर उतार- चढ़ाव हयान लेने द्वारा 60% विदेशी गमन पोत पास पास लगाने हेतु दर परिकलित है	प्रत्येक प्रवेश	प्रत्येक प्रवेश		शिप/स्टीमर्स	0.332	5.38	प्रत्येक प्रवेश	प्रत्येक प्रवेश
ऊपर टग्स, लांचस, बार्जस आदि शामिल नहीं है	0.053		प्रत्येक प्रवेश	प्रत्येक प्रवेश		ऊपर टग्स, लांचस, बार्जस आदि शामिल नहीं है	0.053	2.48	प्रत्येक प्रवेश	प्रत्येक प्रवेश
सिंगल पाइंट मूरिंग पर कच्चा तेल टैंकर(एसपीएम)	0.332		प्रत्येक प्रवेश	प्रत्येक प्रवेश		सिंगल पाइंट मूरिंग पर कच्चा तेल टैंकर(एसपीएम)	0.332	5.38	प्रत्येक प्रवेश	प्रत्येक प्रवेश

<table>
<tr><td colspan="7">(iii) प्रचलित एसओआर में विनिर्धारित चैप्टर II के अधीन अनुसूची 2.2 पायलटेज का प्रतिस्थापना</td></tr>
<tr><td colspan="3">आदेश सं0 टीएएमपी /22/2015- न म प न्यास दिनांक 27 फरवरी 2016</td><td></td><td colspan="3">निम्नलिखित से प्रतिस्थापना</td></tr>
<tr><td colspan="3">2.2 पायलटेज</td><td></td><td colspan="3">2.2 पायलटेज</td></tr>
<tr><td rowspan="2">पोत का वर्गीकरण</td><td colspan="2">दर प्रति जीआरटी</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">पोत का वर्गीकरण</td><td colspan="2">दर प्रति जीआरटी</td></tr>
<tr><td>विदेश-गमन पोत (यूएस$ में)</td><td>तटीय जहाज (रू में)</td><td>विदेश-गमन पोत (यूएस$ में)</td><td>तटीय जहाज (रू में)</td></tr>
<tr><td>(i) दोनों आवक और जावक पायलटेज हेतु</td><td></td><td rowspan="4">तटीय पोत हेतु दर, विनिमय दर उतार-चढ़ाव हयान लेने द्वारा 60% विदेशी गमन पोत पास पास लगाने हेतु दर परिकलित है</td><td></td><td>(i) दोनों आवक और जावक पायलटेज हेतु</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(क) 30,000 जीआरटी तक</td><td>0.426 कनिष्टतम यूएसडी 1,278 के अधीन</td><td></td><td>(क) 30,000 जीआरटी तक</td><td>0.426 कनिष्टतम यूएसडी 1,278 के अधीन</td><td>रू 11.37 कनिष्टतम रू 34,110.00 के अधीन</td></tr>
<tr><td>(ख)30,001 से 60,000 जीआरटी</td><td>यूएसडी 12,780+ यूएसडी 0.340 प्रति जीआरटी अधिक 30,000 जीआरटी</td><td></td><td>(ख)30,001 से 60,000 जीआरटी</td><td>यूएसडी 12,780+ यूएसडी 0.340 प्रति जीआरटी अधिक 30,000 जीआरटी</td><td>रू 3,41,100.00 + रू 9.10 प्रति जीआरटी अधिक 30,000 जीआरटी</td></tr>
<tr><td>(ग) 60,001 जीआरटी व अधिक</td><td>यूएसडी 22,980+ यूएसडी 0.298 प्रति जीआरटी 60,000 जीआरटी से अधिक</td><td></td><td>(ग) 60,001 जीआरटी व अधिक</td><td>यूएसडी 22,980+ यूएसडी 0.298 प्रति जीआरटी 60,000 जीआरटी से अधिक</td><td>यूएसडी रू 6,14,100.00 + रू 7.97 प्रति जीआरटी 60,000 जीआरटी से अधिक</td></tr>
<tr><td>(घ) एसपीएम</td><td>यूएसडी 0.2515</td><td></td><td></td><td>(घ) एसपीएम</td><td>यूएसडी 0.2515</td><td>रू 9.58</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">दर प्रति पोत</td><td></td><td></td><td colspan="2">दर प्रति पोत</td></tr>
<tr><td>(ii) (क) टग्स, लांचस, बार्जस आदि ऊपर</td><td>यूएसडी 94.88 प्रति पोत</td><td>तटीय पोत हेतु दर, विनिमय दर उतार-</td><td></td><td>(ii) (क) टग्स, लांचस, बार्जस आदि ऊपर विनिर्दिष्ट नहीं है</td><td>यूएसडी 94.88 प्रति पोत</td><td>रू2,536.31</td></tr>
</table>

विनिर्दिष्ट नहीं है और तैरते पोत (ऑक्सिलरी इंजन सहित/ रहित) और फिशिंग पोत जीआरटी 199 तक		चढ़ाव हयान लेने द्वारा 60% विदेशी गमन पोत पास पास लगाने हेतु दर परिकलित है		और तैरते पोत (ऑक्सिलरी इंजन सहित/ रहित) और फिशिंग पोत जीआरटी 199 तक		
(ख) जीआरटी 200 व अधिक	यूएसडी 94.88 प्रति पोत			(ख) जीआरटी 200 व अधिक	यूएसडी 94.88 प्रति पोत	रू3,803.80

(vi) **प्रचलित एसओआर में चैप्टर II के अधीन अनुसूची 2.3 पोतों का रोक प्रभार का प्रतिस्थापना निम्नानुसार दर्शित है**

आदेश सं0 टीएएमपी /22/2015- न म प न्यास दिनांक 27 फरवरी 2016

2.3 पोतों के रोक प्रभारें

	विवरण	**विदेश-गमन पोत (यूएस$ में)**	**तटीय जहाज (रू में)**
(i)	0600 घंटे से 1800 घंटे के बीच में पायलटेज हेतु 2 घंटे नोटिस से कम या 1800 घंटे से 0600 घंटे के बीच में पायलटेज हेतु 6 घंटे नोटिस से कम पायलट की सेवाएं हेतु मांग का रद्दी करण हेतु	यूएसडी 99.75	तटीय पोत हेतु दर, विनिमय दर उतार- चढ़ाव हयान लेने द्वारा 60% विदेशी गमन पोत पास पास लगाने हेतु दर परिकलित है
(ii)	समय के परे 30 मिनट से अधिक हेतु किसी स्टीमर द्वारा पायलट का रोक हेतु, जिसके लिए मांग की गई थी		
	(क) 1 घंटर या उसके अंश हेतु	यूएसडी 49.88	
	(ख) प्रत्येक बाद का घंटा या उसके अंश हेतु	यूएसडी 41.56	

निम्नलिखित से प्रतिस्थापना

2.3 पोतों के रोक प्रभारें

	विवरण	**विदेश-गमन पोत (यूएस$ में)**	**तटीय जहाज (रू में)**
(i)	0600 घंटे से 1800 घंटे के बीच में पायलटेज हेतु 2 घंटे नोटिस से कम या 1800 घंटे से 0600 घंटे के बीच में पायलटेज हेतु 6 घंटे नोटिस से कम पायलट की सेवाएं हेतु मांग का रद्दी करण हेतु	यूएसडी 99.75	रू 2,666.65
(ii)	समय के परे 30 मिनट से अधिक हेतु किसी स्टीमर द्वारा पायलट का रोक हेतु, जिसके लिए मांग की गई थी		
	(क) 1 घंटर या उसके अंश हेतु	यूएसडी 49.88	रू 1,332.65
	(ख) प्रत्येक बाद का घंटा या उसके अंश हेतु	यूएसडी 41.56	रू 1,110.55

(vii) **प्रचलित एसओआर में चैप्टर II के अधीन अनुसूची 2.3.1 टग का किराया हेतु प्रभार निम्नानुसार दर्शित है**

आदेश सं0 टीएएमपी /22/2015- न म प न्यास दिनांक 27 फरवरी 2016		**निम्नलिखित से प्रतिस्थापना**
2.3.1 एसपीएम प्रचालन हेतु टग किराया प्रभार		2.3.1 एसपीएम प्रचालन हेतु टग किराया प्रभार

विवरण	विदेश-गमन पोत (यूएस$ में)	तटीय जहाज (रू में)		विवरण	विदेश-गमन पोत (यूएस$ में)	तटीय जहाज (रू में)
एसपीएम प्रचालन हेतु टग किराया प्रभार	यूएसडी 1,240.63	तटीय पोत हेतु दर, विनिमय दर उतार- चढ़ाव हयान लेने द्वारा 60% विदेशी गमन पोत पास पास लगाने हेतु दर परिकलित है		एसपीएम प्रचालन हेतु टग किराया प्रभार	यूएसडी 1,240.63	रू 47,275.45

<table>
<tr><td colspan="7">(iv) **प्रचलित एसओआर में चैप्टर II के अधीन अनुसूची 2.3 के तहत् नोट 3 (i) का प्रतिस्थापना निम्नानुसार दर्शित है**</td></tr>
<tr><td colspan="3">**आदेश सं0 टीएएमपी /22/2015- न म प न्यास दिनांक 27 फरवरी 2016**</td><td></td><td colspan="3">**निम्नलिखित से प्रतिस्थापना**</td></tr>
<tr><td colspan="3">अंतरण प्रभार</td><td></td><td colspan="3">अंतरण प्रभार</td></tr>
<tr><td rowspan="2">**पोत का वर्गीकरण**</td><td colspan="2">**दर प्रति जीआरटी**</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">**पोत का वर्गीकरण**</td><td colspan="2">**दर प्रति जीआरटी**</td></tr>
<tr><td>**विदेश-गमन पोत (यूएस$ में)**</td><td>**तटीय जहाज (रू में)**</td><td>**विदेश-गमन पोत (यूएस$ में)**</td><td>**तटीय जहाज (रू में)**</td></tr>
<tr><td>(i) (क) 30,000 जीआरटी तक</td><td>यूएसडी 318 कनिष्टतम यूएसडी 0.106 के अधीन</td><td rowspan="3">तटीय पोत हेतु दर, विनिमय दर उतार-चढ़ाव हयान लेने द्वारा 60% विदेशी गमन पोत पास पास लगाने हेतु दर परिकलित है</td><td></td><td>(i) (क) 30,000 जीआरटी तक</td><td>यूएसडी 318 कनिष्टतम यूएसडी 0.106 के अधीन</td><td>रू 2.85 कनिष्टतम रू 8,550.00 के अधीन</td></tr>
<tr><td>(ख) 30,001 से 60,000 जीआरटी</td><td>यूएसडी 3,180+ यूएसडी 0.085 प्रति जीआरटी अधिक 30,000 जीआरटी</td><td></td><td>(ख) 30,001 से 60,000 जीआरटी</td><td>यूएसडी 3,180+ यूएसडी 0.085 प्रति जीआरटी अधिक 30,000 जीआरटी</td><td>रू 8,550.00 + रू 2.27 प्रति जीआरटी अधिक 30,000 जीआरटी</td></tr>
<tr><td>(ग) 60,001 जीआरटी व अधिक</td><td>यूएसडी 5,730 + यूएसडी 0.074 प्रति जीआरटी 60,000 जीआरटी से अधिक</td><td></td><td>(ग) 60,001 जीआरटी व अधिक</td><td>यूएसडी 5,730 + यूएसडी 0.074 प्रति जीआरटी 60,000 जीआरटी से अधिक</td><td>यूएसडी रू 1,53,600.00 + रू 2.00 प्रति जीआरटी 60,000 जीआरटी से अधिक</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">**दर प्रति पोत**</td><td></td><td></td><td colspan="2">**दर प्रति पोत**</td></tr>
<tr><td>(ii) (क) टग्स, लांचस, बार्जस आदि ऊपर विनिर्दिष्ट नहीं है और तैरते पोत (ऑक्सिलरी इंजन सहित/ रहित) और</td><td>यूएसडी 23.73 प्रति पोत</td><td>तटीय पोत हेतु दर, विनिमय दर उतार-चढ़ाव हयान लेने द्वारा 60% विदेशी गमन पोत पास पास लगाने हेतु दर</td><td></td><td>(ii) (क) टग्स, लांचस, बार्जस आदि ऊपर विनिर्दिष्ट नहीं है और तैरते पोत (ऑक्सिलरी इंजन सहित/ रहित) और फिशिंग पोत</td><td>यूएसडी 23.73 प्रति पोत</td><td>रू 634.41</td></tr>
</table>

फिशिंग पोत जीआरटी 199 तक		परिकलित है		जीआरटी 199 तक		
(ख) जीआरटी 200 व अधिक	यूएसडी 35.58 प्रति पोत			(ख) जीआरटी 200 व अधिक	यूएसडी 35.58 प्रति पोत	रू 950.95
(v) **प्रचलित एसओआर में चैप्टर II के अधीन अनुसूची 2.2 के तहत् नोट 9 का प्रतिस्थापना निम्नानुसार दर्शित है**						
आदेश सं0 टीएएमपी /22/2015- न म प न्यास दिनांक 27 फरवरी 2016				**निम्नलिखित से प्रतिस्थापना**		
(क) अपरिहार्य कारणों के लिए पततन परिसीमाओं के बाहर पायलट पोत संचालन करने के संदर्भ में, मास्टर अगले निकटतम पत्तन पर पायलट को छोडने के लिए बद्ध होगा और मास्टर, मालिक या उसके प्रतिनिधियां संप्रात्यवर्तन के लिए जिम्मेदार होंगे और उसके बाद के सभी संबंधित शिष्टाचार और साथ ही संचालन पर इस प्रकार पायलट का भोजन और आवास, अन्य उचित व्यय एवं संप्रत्यावर्तन के मामले में वहन किए गए सभी खर्च के भुगतान बाध्य होगा । इसके अतिरिक्त, विदेशी गमन पोतों के लिए प्रति घंटा यूएस$ 3.78 की दर पर या तटीय पोतों के लिए विनिमय दर उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखने द्वारा परिकलित 60% (विदेशी गमन पोतों को पास पास रखने के लिए दर का) तक मुआवजा प्रतिकर पत्तन में ड्यूटि पर पायलट वापिस रिपोर्ट करने तक पोत का मास्टर द्वारा देय होगा ।				(क) अपरिहार्य कारणों के लिए पततन परिसीमाओं के बाहर पायलट पोत संचालन करने के संदर्भ में, मास्टर अगले निकटतम पत्तन पर पायलट को छोडने के लिए बद्ध होगा और मास्टर, मालिक या उसके प्रतिनिधियां संप्रात्यवर्तन के लिए जिम्मेदार होंगे और उसके बाद के सभी संबंधित शिष्टाचार और साथ ही संचालन पर इस प्रकार पायलट का भोजन और आवास, अन्य उचित व्यय एवं संप्रत्यावर्तन के मामले में वहन किए गए सभी खर्च के भुगतान बाध्य होगा । इसके अतिरिक्त, विदेशी गमन पोतों के लिए प्रति घंटा यूएस$ 3.78 की दर पर या तटीय पोतों के लिए विनिमय दर उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखने द्वारा परिकलित 60% (विदेशी गमन पोतों को पास पास रखने के लिए दर का) तक मुआवजा प्रतिकर पत्तन में ड्यूटि पर पायलट वापिस रिपोर्ट करने तक पोत का मास्टर द्वारा देय होगा ।		

(viii) **प्रचलित एसओआर में चैप्टर II के अधीन अनुसूची 2.4.1 बर्थ की उपयोगिता हेतु बर्थ किराया प्रभार जहाँ वार्फ क्रेन नहीं लगाए गए हैं और 2.4.2 ऑयल टैंकर व अन्य पोत का प्रतिस्थापन निम्नानुसार दर्शित है :**

आदेश सं0 टीएएमपी /22/2015- न म प न्यास दिनांक 27 फरवरी 2016 में यथा अनुमोदित			**निम्नलिखित से प्रतिस्थापना**		
2.4.1 बर्थ की उपयोगिता हेतु बर्थ किराया प्रभार जहाँ वार्फ क्रेन नहीं लगाए गए हैं			**2.4.1 बर्थ की उपयोगिता हेतु बर्थ किराया प्रभार जहाँ वार्फ क्रेन नहीं लगाए गए हैं**		
पोत का वर्गीकरण	**दर प्रति घंटा उसके अंश प्रति जीआरटी**		**पोत का वर्गीकरण**	**दर प्रति घंटा उसके अंश प्रति जीआरटी**	
	विदेश-गमन पोत (यूएस$ में)	**तटीय जहाज (रू में)**		**विदेश-गमन पोत (यूएस$ में)**	**तटीय जहाज (रू में)**
पोत के आलावा ऑयल टैंकर			**पोत के आलावा ऑयल टैंकर**		
जीआरटी का ध्यान किए बिना सभी पोत	0.23 सेन्टस कनिष्ठतम यूएसडी 7.98 के अधीन	तटीय पोत हेतु दर, विनिमय दर उतार- चढ़ाव हयान लेने द्वारा 60% विदेशी गमन पोत पास पास लगाने हेतु दर परिकलित है	जीआरटी का ध्यान किए बिना सभी पोत	0.23 सेन्टस कनिष्ठतम यूएसडी 7.98 के अधीन	रू 0.060 कनिष्टतम रू 213.33 के अधीन
आदेश सं0 टीएएमपी /22/2015- न म प न्यास दिनांक 27 फरवरी 2016 में यथा अनुमोदित			**निम्नलिखित से प्रतिस्थापना**		
2.4.2 ऑयल टैंकर व अन्य पोत			**2.4.2 ऑयल टैंकर व अन्य पोत**		
पोत का वर्गीकरण	**दर प्रति घंटा उसके अंश प्रति जीआरटी**		**पोत का वर्गीकरण**	**दर प्रति घंटा उसके अंश प्रति जीआरटी**	
	विदेश-गमन पोत (यूएस$ में)	**तटीय जहाज (रू में)**		**विदेश-गमन पोत (यूएस$ में)**	**तटीय जहाज (रू में)**
(i) टैकर/ऑयल टैंकर	0.33 सेन्टस कनिष्ठतम यूएसडी 6.58 के अधीन	तटीय पोत हेतु दर, विनिमय दर उतार- चढ़ाव हयान लेने	(i) टैकर/ऑयल टैंकर	0.33 सेन्टस कनिष्ठतम यूएसडी 6.58 के अधीन	रू 0.089 कनिष्टतम रू 175.96 के अधीन

		द्वारा 60% विदेशी गमन पोत पास पास लगाने हेतु दर परिकलित है				
	दर प्रति पोत प्रति घंटा				**दर प्रति पोत प्रति घंटा**	
(ii) तैरते पोत, बार्जस, टग (स्टीमर व टैंकर के अलावा पोत)	यूएसडी 4.12 प्रति पोत/ घंटा	तटीय पोत हेतु दर, विनिमय दर उतार- चढ़ाव हयान लेने द्वारा 60% विदेशी गमन पोत पास पास लगाने हेतु दर परिकलित है		(ii) तैरते पोत, बार्जस, टग (स्टीमर व टैंकर के अलावा पोत)	यूएसडी 4.12 प्रति पोत/ घंटा	रू 110.06 प्रति पोत/ घंटा
(iii) फिशिंग पोत/ ट्रालर्स /सर्विस बोट	यूएसडी 0.66 प्रति पोत/ घंटा			(iii) फिशिंग पोत/ ट्रालर्स /सर्विस बोट	यूएसडी 0.66 प्रति पोत/ घंटा	रू 17.63 प्रति पोत/ घंटा
(iv) उडन रोइंग बोट ऑक्सिलरी इंजन सहित/रहित	यूएसडी 0.32 प्रति पोत/ घंटा			(iv) उडन रोइंग बोट ऑक्सिलरी इंजन सहित/रहित	यूएसडी 0.32 प्रति पोत/ घंटा	रू 8.65 प्रति पोत/ घंटा
(v) दुगुना बैंकिंग	जब कभी किसी पोत, अन्य पोत के साथ दो तट पर बर्थ उपयोगिता करता है, उसे ऊपर विनिर्दिष्ट बर्थ किराया का 50% प्रभारित किया जाएगा ।			(v) दुगुना बैंकिंग	जब कभी किसी पोत, अन्य पोत के साथ दो तट पर बर्थ उपयोगिता करता है, उसे ऊपर विनिर्दिष्ट बर्थ किराया का 50% प्रभारित किया जाएगा ।	

(ix) **प्रचलित एसओआर में चैप्टर II के अधीन अनुसूची 2.4.2 के बाद नोट (vii) (क) व (ख) लॉश बार्जस् प्रतिस्थापन निम्नानुसार दर्शित है :**

आदेश सं0 टीएएमपी /22/2015- न म प न्यास दिनांक 27 फरवरी 2016 में यथा अनुमोदित	निम्नलिखित से प्रतिस्थापना
(vii) लॉश बार्जस	(vii) लॉश बार्जस
(क) बर्थ किराया प्रभार, कार्गो का उतार व चढ़ाव की प्रक्रिया के दौरान विदेशी गमन हेतु यूएस$ 0.60 प्रति बार्ज प्रति घंटा या उसके अंश की दर पर लगाई जाय या तटीय पोत हेतु 60% विदेशी गमन पोतों का पास पास लगाने हेतु दर का विनिमय दर उतार-चढ़ाव ध्यान में रखने द्वारा परिकलित किया जाय । (ख) जब बार्जस सुरक्षित फ्लीट क्षेत्र में इंतजार करता है, उन्हें यूएस$ 0.60 प्रति बार्ज प्रति घंटा पर प्रभारित किया जाय । विदेशी गमन पोत हेतु उसके अंश अथवा 60% विदेशी गमन पोतों का पास पास लगाने हेतु दर का विनिमय दर उतार-चढ़ाव ध्यान में रखने द्वारा परिकलित किया जाय ।	(क) बर्थ किराया प्रभार, कार्गो का उतार व चढ़ाव की प्रक्रिया के दौरान विदेशी गमन हेतु यूएस$ 0.60 प्रति बार्ज प्रति घंटा या उसके अंश की दर पर लगाई जाय या तटीय पोत हेतु 60% विदेशी गमन पोतों का पास पास लगाने हेतु दर का विनिमय दर उतार-चढ़ाव ध्यान में रखने द्वारा परिकलित किया जाय । (ख) जब बार्जस सुरक्षित फ्लीट क्षेत्र में इंतजार करता है, उन्हें यूएस$ 0.60 प्रति बार्ज प्रति घंटा पर प्रभारित किया जाय । विदेशी गमन पोत हेतु उसके अंश अथवा 60% विदेशी गमन पोतों का पास पास लगाने हेतु दर का विनिमय दर उतार-चढ़ाव ध्यान में रखने द्वारा परिकलित किया जाय।

(x) **प्रचलित एसओआर में निर्धारित चैप्टर IV के अधीन अनुसूची 4.2 स्टोरेज प्रभारें का प्रतिस्थापन निम्नानुसार दर्शित है :**

आदेश सं0 टीएएमपी /22/2015- न म प न्यास दिनांक 27 फरवरी 2016 में यथा अनुमोदित				निम्नलिखित से प्रतिस्थापना			
4.2 स्टोरेज प्रभारें				4.2 स्टोरेज प्रभारें			
क्र सं0	**कंटैनर का आकार**	**दर प्रति कंटैनर प्रति दिन या उसके अंश**		**क्र सं0**	**कंटैनर का आकार**	**दर प्रति कंटैनर प्रति दिन या उसके अंश**	
		विदेश-गमन पोत (यूएस$ में)	**तटीय जहाज (रू में)**			**विदेश-गमन पोत (यूएस$ में)**	**तटीय जहाज (रू में)**
1	20’ तक	0.285	तटीय पोत हेतु दर, विनिमय दर उतार-	1	20’ तक	0.285	12.67

2	20’ से अधिक और 40’ तक	0.427	चढ़ाव हयान लेने द्वारा 60% विदेशी गमन पोत पास पास लगाने हेतु दर परिकलित है		2	20’ से अधिक और 40’ तक	0.427	19.02
3	40’ से अधिक	0.569			3	40’ से अधिक	0.569	25.36

(xi) **प्रचलित एसओआर में अनुसूची 6.1 जल की आपूर्ति हेतु प्रभारों का प्रतिस्थापन निम्नानुसार दर्शित है :**

आदेश सं0 टीएएमपी /22/2015- न म प न्यास दिनांक 27 फरवरी 2016 में यथा अनुमोदित		**निम्नलिखित से प्रतिस्थापना**

6.1 जल की आपूर्ति हेतु प्रभारें					**6.1 जल की आपूर्ति हेतु प्रभारें**			
		दर प्रति के एल/टन					**दर प्रति के एल/टन**	
	विवरण	**विदेश-गमन पोत (यूएस$ में)**	**तटीय जहाज (रू में)**			**विवरण**	**विदेश-गमन पोत (यूएस$ में)**	**तटीय जहाज (रू में)**
	जल प्रभारें	यूएसडी 4.655	तटीय पोत हेतु दर, विनिमय दर उतार-चढ़ाव हयान लेने द्वारा 60% विदेशी गमन पोत पास पास लगाने हेतु दर परिकलित है			जल प्रभारें	यूएसडी 4.655	रू124.42

(xii) **प्रचलित एसओआर में अध्याय VI के अधीन पत्तन की परिसीमाओं के अंदर लांचों व टगों का किराया हेतु अनुसूची 6.6 प्रभारों का प्रतिस्थापन निम्नानुसार दर्शित है :**

आदेश सं0 टीएएमपी /22/2015- न म प न्यास दिनांक 27 फरवरी 2016 में यथा अनुमोदित					**निम्नलिखित से प्रतिस्थापना**			
6.6 पत्तन की परिसीमाओं के अंदर लांचों व टगों का किराया हेतु प्रभार					6.6 पत्तन की परिसीमाओं के अंदर लांचों व टगों का किराया हेतु प्रभार			
I. टग					I. टग			
क्र सं0	**पोत का नाम**	**दर प्रति घंटा या उसके अंश**			**क्र सं0**	**कंटैनर का आकार**	**दर प्रति घंटा या उसके अंश**	
		विदेश-गमन पोत	**तटीय जहाज (रू में)**				**विदेश-गमन पोत (यूएस$**	**तटीय जहाज (रू में)**

		(यूएस$ में)					**में)**	
1	32.50 टी बी पी	यूएसडी 1,578.98	तटीय पोत हेतु दर, विनिमय दर उतार- चढ़ाव हयान लेने द्वारा 60% विदेशी गमन पोत पास पास लगाने हेतु दर परिकलित है		1	32.50 टी बी पी	यूएसडी 1,578.98	रू 42,206.22
2	52.00 टी बी पी	यूएसडी 2,342.98			2	52.00 टी बी पी	यूएसडी 2,342.98	रू 62,628.37

II. लांचे					II. लांचे			
क्र सं0	**पोत का नाम**		**दर प्रति घंटा या उसके अंश**		**क्र सं0**	**पोत का नाम**	**दर प्रति घंटा या उसके अंश**	
		विदेश-गमन पोत (यूएस$ में)	**तटीय जहाज (रू में)**				**विदेश-गमन पोत (यूएस$ में)**	**तटीय जहाज (रू में)**
(क)	बहुउद्देश्यीय पोत : एम वी मल्या	यूएसडी 1,528.04	तटीय पोत हेतु दर, विनिमय दर उतार- चढ़ाव हयान लेने द्वारा 60% विदेशी गमन पोत पास पास लगाने हेतु दर परिकलित है		(क)	बहुउद्देश्यीय पोत : एम वी मल्या	यूएसडी 1,528.04	रू 40,844.30
(ख)	मूरिंग लाँच	यूएसडी 152.80			(ख)	मूरिंग लाँच	यूएसडी 152.80	रू 4,084.43
(ग)	पायलट लाँच	यूएसडी 387.10			(ग)	पायलट लाँच	यूएसडी 387.10	रू 10,347.40
(घ)	सर्वे लाँच	यूएसडी 306.99			(घ)	सर्वे लाँच	यूएसडी 306.99	रू 8,206.10